**भारत सरकार**
**सूचना और प्रसारण मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 3684**
**(दिनांक 18.12.2024 को उत्तर देने के लिए)**

## स्वतंत्र मीडिया प्लेटफॉर्मों को अवरुद्ध करना

**3684. श्रीमती प्रतिमा मण्डलः**

**क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार ने बोलता हिंदुस्तान और नेशनल दस्तक जैसे स्वतंत्र मीडिया प्लेटफार्मों को बिना कोई विशेष कारण बताए या पूर्व चेतावनी दिए ब्लॉक करने के लिए आईटी अधिनियम की धारा 69क के तहत गोपनीय नोटिस जारी किए हैं, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही प्रभावित हुई है;

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि धारा 69क के अंतर्गत किए गए उपायों का उपयोग स्वतंत्र पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए न किया जाए, विशेषकर मतदान जैसे महत्वपूर्ण समय के दौरान जब विविध दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं; और

(ग) प्रभावित मीडिया प्लेटफार्मों को अवरुद्ध करने वाले आदेशों तक अथवा निष्पक्ष सुनवाई के अवसर तक पहुंच से वंचित किए जाने के क्या कारण हैं, जिससे सम्यक प्रक्रिया अपनाने के उनके अधिकार का उल्लंघन होता है और लोकतांत्रिक शासन में जनता का विश्वास कम होता है?

**उत्तर**
**सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री**
**(डॉ. एल. मुरूगन)**

(क) से (ग): सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत दिनांक 25 फरवरी, 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) अधिसूचित किए हैं। इन नियमों में डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्मों) के प्रकाशकों के लिए आचार संहिता का प्रावधान है।

यूट्यूब समाचार चैनल बोलता हिंदुस्तान और नेशनल दस्तक सहित डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशक, आईटी नियम, 2021 के भाग-III के प्रावधानों के तहत आते हैं, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम, 2000) की धारा 69क के अंतर्गत आने वाली सामग्री को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने का प्रावधान है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69क अन्य बातों के साथ-साथ केंद्र सरकार को भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या लोक व्यवस्था के हित में अथवा ऐसे मामलों से संबंधित किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने में उकसावे को रोकने के लिए सामग्री को अवरुद्ध करने के लिए किसी भी सरकारी एजेंसी या मध्यस्थ को निर्देश जारी करने का अधिकार देती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आईटी नियम, 2021 के तहत ऐसी सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए उचित दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं।

धारा 69क के तहत सामग्री को ब्लॉक करने के प्रावधान का प्रयोग करने से पहले पर्याप्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय हैं। संबंधित सामग्री की जांच, विधि एवं न्याय मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आदि के प्रतिनिधियों वाली एक समिति द्वारा की जाती है। समिति में भारतीय प्रेस परिषद, फिक्की और सीआईआई के डोमेन विशेषज्ञ भी शामिल हैं। इसके अलावा, नियम संबंधित प्रकाशक या मध्यस्थ को समिति के समक्ष उपस्थित होने और उनके उत्तर और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हैं।

*****